बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9 / आ0–04–42 / 2023(स्वा0) .... **/ पटना, दिनांक:–**..

सिविल सर्जन, शेखपुरा के पत्रांक–30 दिनांक–17.01.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि डॉ० अभिषेक रंजन, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, शेखपुरा दिनांक–27.11.2021 से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प सं०–548(9) दिनांक–17.05.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) में गठित आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया।

3. विभागीय पत्रांक–1083(9) दिनांक–03.10.2023 द्वारा डॉ० रंजन से द्वितीय कारण–पृच्छा की गयी, जिसके आलोक में उनका प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ। डॉ० रंजन द्वारा अपने प्रत्युत्तर में कहा गया कि अपने गर्भवती पत्नी के देख–रेख के कारण अनुपस्थित थे। वर्तमान समय में डॉ० रंजन द्वारा योगदान करके कार्य करना चाहतें है। मगर डॉ० रंजन के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोप तथा द्वितीय कारण–पृच्छा प्रतिवेदन की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि बिना छुट्टी स्वीकृत कराये डॉ० रंजन अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे है।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त डॉ० रंजन के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(VI) के अधीन संचयी प्रभाव से 02 (दो) वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति अधिरोपित करने एवं डॉ० रंजन को दिनांक–27.11.2021 से दिनांक–26.08.2024 तक की अवधि को कार्य नहीं तो वेतन नहीं (No Work No Pay) के साथ इस अवधि की गणना प्रोन्नति, DACP आदि में लाभ नहीं दिया जाएगा का दण्ड अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

5. उक्त अधिरोपित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–3486 दिनांक–10.12.2024 द्वारा सहमति प्राप्त है।

6. डॉ० अभिषेक रंजन, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, शेखपुरा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(VI) के अधीन सचयी प्रभाव से 02 (दो) वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति अधिरोपित करने एवं डॉ० रंजन को दिनांक–27.11.2021 से दिनांक–26.08.2024 तक की अवधि को कार्य नहीं तो वेतन नहीं (No Work No Pay) के साथ इस अवधि की गणना प्रोन्नति, DACP आदि में लाभ नहीं दिया जाएगा का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:–9 / आ0–04–42 / 2023(स्वा0) 1405(9) **/ पटना, दिनांक:–** 31.12.24

प्रतिलिपि:–महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, शेखपुरा / कोषागार पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/12/2024

21.1.25

(15)

प्रतिलिपिः—क्षेत्रीय अपर—निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग/सभी अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—डॉ० अभिषेक रंजन, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

31/12/2024
सरकार के अवर सचिव।